APP-A
Crime-1

Form-III
फर्द अहकाम

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।

श्री ताजेंग पिता दलजी बलाई जाति बलाई निवासी पालोदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा	बनाम	श्री प्रकाशचन्द्र पिता भेरूस्लाल खटीक वगैहर निवासी सलुम्बर हाल निवासी पवन बलाई के घर पालोदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा

किस्म मुकदमा:– अन्तर्गत धारा **212 राजस्थान काश्तकारी** अधिनियम।

प्रकरण संख्या: **66/2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय ईनिशियल जज	नम्बंर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
01.8.2024	पत्रावली बाद जांच दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रार्थी श्री ताजेंग पिता दलजी बलाई जाति बलाई निवासी पालोदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा द्वारा अप्रार्थीगण श्री प्रकाशचन्द्र पिता भेरूस्लाल खटीक वगैहर निवासी सलुम्बर हाल निवासी पवन बलाई के घर पालोदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा के विरूद्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर पटवार हल्का पालोदा के मौजा पालोदा की खाता संख्या 241 (नया) 218 (पुरानी) के सर्वे नम्बर 10077 रकबा 0.03 हे0, सर्वे नम्बर 10078 रकबा 0.11 हे0, सर्वे नम्बर 10080 रकबा 0.20 हे0, सर्वे नम्बर 10081 रकबा 0.05 हे0, सर्वे नम्बर 10082 रकबा 0.24 हे0, सर्वे नम्बर 10096 रकबा 0.05 हे0 तथा सर्वे नम्बर 10097 रकबा 0.11 हे0 कुल किता 07 कुल रकबा 0.79 भूमि पर मूलवाद के निर्णित होने तक प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवेदन किया। इस हेतु वादी वकील की दलीलों को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा सडक सीमा का उल्लंघन कर अवैध निर्माण कर रहा है प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अवैध निर्माण किया जाने से प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आने जाने व कृषि कार्य करने में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है अतः प्रतिवादी संख्या 01 को वाद के निर्णय होने तक पाबंद किया जाता है कि वह उदयपुर State Highway पर सडक सीमा के 40 मीटर तक किसी तरह का निर्माण ना करे साथ ही ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे आस पास के माहौल में अशांति उत्पन्न हो, कानून व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हो। वादी को अपनी कृषि भूमि के शांतिपूर्ण उपयोग उपभाग में किसी तरह की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से व्यवधान उत्पन्न ना करें। साथ ही AEN PWD लौहारिया को भी पाबंद किया जाता है कि वह State Highway पर हो रहें निर्माण कार्य/अतिक्रमण पर निगरानी रखें। पत्रावली फैसल शुमार कर मुल वाद के संलग्न करते हुए सभी सम्बन्धित पक्षकारो को वास्ते पाल[illegible] है उपखण्ड अधिकारी गढ़ी उपखण्ड अधिकारी गढ़ी, जिला बांसवाडा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.09.09 11:19:17 IST
Reason: SelfAttested